खण्ड – 5 संख्या – 13

बिहार विधान–सभा वाद–वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

भाग –1

(कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि 08 सितम्बर, 1986 ई०

अंचलाधिकारी के रूप में तथा दिनांक 4.10.80 से कार्यपालक दंडाधिकारी, खगड़िया के रूप में पदस्थापित हैं। श्री मंडल का स्थानांतरण किया गया है। इनकी सेवायें पदस्थापनार्थ खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के अधीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 1043 दिनांक 16.8.86 द्वारा सौंप दी गई है।

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या श्री डी.एन. मंडल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : 16.8.86 को तो आदेश हो गया है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारियों का स्थानांतरण मई और दिसम्बर महीने में होता है, अगस्त और सितम्बर में नहीं होता है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : प्रशासनिक दृष्टि से कभी भी स्थानांतरण किया जा सकता है।

बोर्ड के स्थापना पर विचार :

1699. श्री सतीश चन्द्र झा : क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

1. क्या यह बात सही है कि बिहार खादी ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956 में यह प्रावधान है कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कुल प्रस्थापना व्यय का वहन राज्य सरकार करेगी;

2. क्या यह बात सही है कि योजना आयोग ने सभी राज्य

सरकारों के सचिव, योजना विभाग को अने पत्रंक भी.एफ. आई. 1 8.–61, दिनांक 13 अक्टूबर 1961 द्वारा यह निदेश दिया था कि सभी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थापना व्यय का भार संबधित राज्य सरकारों को गैर–योजना मद से वहन करना है;

3. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक स्थापना व्यय 85 लाख रु० है जिसमें राज्य सरकार मात्र 30 लाख रुपये तदर्थ रूप में देती है फलस्वरूप कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है;

4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बोर्ड के सम्पूर्ण स्थापना–व्यय करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?

श्री विश्वमोहन शर्मा : 1. वस्तुस्थिति यह है कि बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम के अनुसार खादी बोर्ड द्वारा प्रस्थापना व्यय संबंधी बजट राज्य सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करना हैं।

2. उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि योजना आयोग ने इस पत्र द्वारा दिनांक 31.3.61 तक खादी बोर्ड में नियुक्त स्टाफ की स्थापना संबंधी खर्च राज्य सरकार द्वारा गैर–योजना मद से वहन करने हेतु लिखा था।

3. वस्तुस्थिति यह है कि 1977–78 से खादी बोर्ड की स्थापना का खर्च मद में 30.00 लाख रुपये स्वीकृति समिति की

अनुशंसा परद दी जाती रही है। लेकिन चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस आदि में वृद्धि के फलस्वरू बोर्ड की स्थापना के खर्च में वृद्धि हो गयी है। वर्ष 84–85 से सरकार 50.00 लाख रुपया स्थापना खर्च के रूप में उपलब्ध करा रही है।

वर्त्तमान वर्ष 86–87 के लिए खादी बोर्ड के द्वारा कुल 85.53 लाख रु० की मांग की गयी है। इस पर विचार किया जा रहा है।

4. राज्य की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में गैर–योजना मद से स्थाना मद में राशि उपलब्ध कराने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री सतीश चन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रति वर्ष बजट बनाया जाता है तथा सरकार के समक्ष रखा जाता है, सरकार उसकी समीक्षा करती है तथा सरकार को बजट पास करना है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को वार्षिक स्थापना व्यय के लिए वर्ष 83–84 में 30 लाख रुपया तथा वर्ष 84–85 में 50 लाख रुपया दिया गया है जबकि 85 लाख रुपये की उनको आवश्यकता है, तो क्या सरकार उनको पूरी राशि देगी ताकि वहा के कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान किया जा सके?

श्री विश्वमोहन शर्मा : समय–समय पर सरकार के द्वारा पुराने बकाये राशि की क्षतिपूर्ति की जाती रही है और इससे बकायी राशि का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाता रहा है।

श्री सतीश चन्द्र झा : मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि किस मद से यह पैसा बोर्ड पूरा करता है?

श्री विश्वमोहन शर्मा : जो बचत होता है, उनका भी हिसाब–किताब देते हैं, उनको जो कमीशन प्राप्त होता है बिक्री से, वह सब मिलाजुलाकर होता है।

श्री सतीश चन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वहाँ जो कर्मचारी है उनके भविष्य निधि से अंशदान के रूप में 16 लाख रुया कटता है लेकिन उनके एकाउंट में जमा नहीं होता है जिस कारण कर्मचारियों को उसका सूद नहीं मिल रहा है? सरकार इसके लिए क्या करने जा रही है?

श्री विश्वमोहन शर्मा : इसके लिए अलग से सूचना चाहिए। मैं सूचना ग्रहण कर लेता हूँ।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 1976–77 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में जितने कर्मचारी थे, उन पर स्थापना व्यय में 30 लाख रुपया निर्धारित था। वेतन पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट लागू होने के कारण 1985–86 में स्थापना व्यय 85 लाख हो गया है तो सरकार 85 लाख क्यों नहीं देना चाह रही है?

श्री विश्वमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है और माननीय सदस्य ने सही कहा है कि 1976–77 में 30 लाख रुपया स्थापना पर व्यय होता था, वह वर्त्तमान वर्ष में बढ़कर 85

लाख 53 हजार हो गया है और इस राशि की मांग की गयी है। वह सरकार के विचाराधीन है।

श्री रमेन्द्र कुमार : क्या यह बात सही है कि खादी बोर्ड के स्थापना–व्यय हेतु माननीय मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री की हैसियत से 85 लाख रुपये के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की थी, लेकिन फिर वित्त मंत्री की हैसियत से इस प्रस्ताव को अमान्य करते हुए 50 लाख रुये की स्वीकृति दी और इसमें भी मात्र 15 ही लाख रुपये का भुगतान दिया गया है।

श्री विश्वमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 50 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है, उसमें से 15 लाख रुपया 86–87 वर्ष में विमुक्त किया गया है। बाकी रुपया धीरे–धीरे विमुक्त किया जायगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में उद्योग मंत्री श्री रामाश्रय बाबू ने पूर्व में इस बात को स्वीकार किया था कि बोर्ड की स्थापना वर्ष पर जो व्यय होगा, उसे सरकार देगी। अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में इस बात को कबूल करने के बाद भी अभी तक बोर्ड को पैसा क्यों नहीं दिया गया?

श्री विश्वमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 50 लाख रुपया का प्रावधान हो चुका है और 35 लाख रुपये प्रावधान करने के संबंध में विचार किया जा रहा है।

श्री संकटेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूँगा कि खादी बोर्ड की स्थापना नो प्रोफिट और नो लौस के अधीन किया गया था तो 85 लाख रुया जो स्थापना व्यय हो रहा है, और सरकार 50 लाख रुया देने जा रही है, वह किस आधार पर देने जा रही है।

(इस पूरक प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला)

श्री महेन्द्र नारायण झा 'आजाद' : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रावधान है कि कुल स्थापना व्यय सरकार वहन करेगी तो फिर कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं देने का क्या कारण है?

अध्यक्ष : इसका उत्तर हो चुका है।

थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई :

1700. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह :क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिला के अंतर्गत ग्राम परसा एवं पतरदा–नौरंगिया के निवासी क्रमशः श्री सर्वागिरि, श्री नरसिंह महतो एवं श्री काशी महतो, को अकारण दिनांक 12 अगस्त 1986 को 10 बजे दिन में थाना प्रभारी, बेतिया मुफ्फसिल ने गिरफ्तार कर संध्या 4 बजे थाना से छोड़ दिया;